तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर. /2000/5406/धौलपुर** **राजस्थान सरकार बनाम भीकम चन्द वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/1/2026	**एकलपीठ** **श्री किशोर कुमार, सदस्य** **उपस्थित :** श्री अर्चना गौतम, उप राजकीय अभिभाषक। अभिभाषक अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं —— **आदेश** राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स न्यायालय जिला कलेक्टर धौलपुर ने अपने निर्णय व अभिशंषा दिनांक 29–08–2000 द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है। रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार बाड़ी ने एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलेक्टर, धौलपुर को प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि ग्राम खानपुर मीना की गत आराजी खसरा नंबर 1174 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 1176 रकबा 01 बिस्वा, कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, ग्राम कस्वा बाड़ी की गत आराजी खसरा नम्बर 4005 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा, 4006 रकबा 02 बिस्वा, 4005 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, 4007 रकबा 01 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, ग्राम सहेडी की गत आराजी खसरा नं. 595 मि0 रकबा 01 बिस्वा, 603 मि0 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा, 931 मि0 रकबा 06 बिस्वा, 931 मि0 11 बिस्वा, 601 मि0 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, 602 मि0 रकबा 04 बिस्वा, 603 मि0 रकबा 01 बिस्वा, 915 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा, 955 रकबा 16 बिस्वा, 926 मि0 रकबा 11 बिस्वा, 927 रकबा 16 बिस्वा, 975 मि0 1 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 12 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा 2011 की जमाबंदी के अनुसार दरगाह मुहब्बत शाह के नाम दीगर व्यक्तियों की थी। उक्त आराजी का सम्वत् 2017 में भू–प्रबंध विभाग द्वारा इनके वर्तमान खसरा नंबर ग्राम खानपुर मीना का खसरा नं. 5019 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा 5020 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 5040 रकबा 01 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, ग्राम सहेडी के खसरा नं0 611 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 981 रकबा 05 बिस्वा, 982 रकबा 11 बिस्वा, 609 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा, 968 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा 1003 रकबा 13 बिस्वा, 978 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा 1004 रकबा 18 बिस्वा कुल किता 8 रकबा 9 बीघा 02 बिस्वा कायम करते हुये दरगाह मुहब्बत शाह के स्थान पर अप्रार्थीगण को खातेदार दर्ज कर दिया गया। माफी दरगाह की भूमि को निजी व्यक्तियों के नाम खातेदारी में दर्ज किया जाना अवैध है। उक्त प्रविष्टियों को विलोपित कर वादग्रस्त भूमि को वापिस माफी दरगाह के नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार द्वारा रेफेरेंस प्रकरण अपर जिला कलेक्टर, धौलपुर को प्रस्तुत किया। अपर जिला कलेक्टर, धौलपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29–08–2000 द्वारा रेफेरेंस प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि को माफी दरगाह के नाम खातेदारी में दर्ज करने हेतु यह रेफरेंस राजस्व मंडल में प्रेषित	

किया है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का अभिकथन है कि विवादित भूमि माफी दरगाह मुहम्मत शाह के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। चूंकि माफी दरगाह शाश्वत नाबालिग है, और माफी दरगाह विराजमान शाश्वत नाबालिग की खातेदारी भूमि होने के कारण उसका अन्तरण किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता और ना ही उक्त भूमि में किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। बिना किसी सक्षम आदेश के विवादित भूमि दरगाह के स्थान पर विधि विरूद्ध अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः जमाबन्दी में अप्रार्थीगण के नाम अंकित प्रविष्टियां निरस्त किये जाने योग्य है एवं विवादित आराजी की खातेदारी पुनः माफी दरगाह के नाम पर दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। एकतरफा कार्यवाहीं अमल में लाई गई। राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस पर मनन किया गया और पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत राजस्व रिकोर्ड अनुसार ग्राम खानपुर मीना की गत आराजी खसरा नंबर 1174 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 1176 रकबा 01 बिस्वा, कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, ग्राम कस्वा बाड़ी की गत आराजी खसरा नम्बर 4005 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा, 4006 रकबा 02 बिस्वा, 4005 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, 4007 रकबा 01 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, ग्राम सहेडी की गत आराजी खसरा नं. 595 मि0 रकबा 01 बिस्वा, 603 मि0 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा, 931 मि0 रकबा 06 बिस्वा, 931 मि0 11 बिस्वा, 601 मि0 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, 602 मि0 रकबा 04 बिस्वा, 603 मि0 रकबा 01 बिस्वा, 915 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा, 955 रकबा 16 बिस्वा, 926 मि0 रकबा 11 बिस्वा, 927 रकबा 16 बिस्वा, 975 मि0 1 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 12 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा 2011 की जमाबंदी के अनुसार दरगाह मुहब्बत शाह के नाम दर्ज थी। उक्त आराजी का सम्वत् 2017 में भू–प्रबंध विभाग द्वारा इनके वर्तमान खसरा नंबर ग्राम खानपुर मीना का खसरा नं. 5019 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा 5020 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 5040 रकबा 01 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, ग्राम सहेडी के खसरा नं0 611 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 981 रकबा 05 बिस्वा, 982 रकबा 11 बिस्वा, 609 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा, 968 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा 1003 रकबा 13 बिस्वा, 978 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा 1004 रकबा 18 बिस्वा कुल किता 8 रकबा 9 बीघा 02 बिस्वा कायम करते हुये दरगाह मुहब्बत शाह के स्थान बिना किसी आधार के अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई। माफी दरगाह की भूमि का नियम विपरीत हस्तांतरण हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं 46 के अन्तर्गत मन्दिर मूर्ति/दरगाह पीर/ देवस्थान की भूमियां सार्वजनिक प्रयोजनार्थ धारित की जाती है एवं दरगाह पीर/ मन्दिर मूर्ति विधिक व्यक्ति होता है जिसे सम्पत्ति धारण करने का अधिकार होता है एवं उसकी कृषि भूमि में कोई निजी व्यक्ति खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। राजस्व विधि में दरगाह पीर/ मन्दिर मूर्ति को शाश्वत अव्यस्क माना जाकर उसके स्वत्व व खातेदारी अधिकार

की भूमि का किसी भी प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण वर्जित है। इस प्रकार दरगाह पीर/ मन्दिर मूर्ति की भूमि का अप्रार्थीगण के नाम अन्तरण, नामांकन तथा राजस्व अभिलेख में अंकन पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से अवैध एवं प्रभाव शून्य है। दरगाह पीर/ मन्दिर एक शाश्वत नाबालिग है और juristic person है। दरगाह पीर/ मन्दिर की भूमि चाहे किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त क्यों न की जा रही हो, चाहे सबायत, पुजारी, एजेंट या मजदूर को मजदूरी देकर काश्त करायी गयी हो, वह दरगाह पीर/ मन्दिर की खुदकाश्त मानी जावेगी व उसके खातेदारी अधिकार दरगाह पीर/मन्दिर के अलावा किसी भी व्यक्ति में निहित नहीं होंगे। अतः विवादित आराजी वर्तमान अप्रार्थीगण के नाम विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। रेफेरेंस स्वीकार किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः हस्तगत् रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संबंधित नामांतकरण निरस्त किये जाकर विवादित आराजी को पुनः ''माफी दरगाह मुहम्मत शाह '' के नाम बतौर खातेदार दर्ज करने एवं सुसंगत समस्त राजस्व अभिलेखों से अप्रार्थीगण के नाम विलोपित करने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
सदस्य